निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 60 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पुरोला** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पुरोला के माह 10/2017 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर०एन०यादव, व श्री राजेश डोभाल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री हरिओम, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 16/10/2018 से 26/10/2018 तक श्री सी.एस.बोहरा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण (16/10/2018 से 18/10/2018) में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी0के0 श्रीवास्तव, व श्री सुनील कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियो तथा श्री गौरव रावत लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09.10.2017 से 24.10.2017 तक में श्री जगमोहन सिंह रावत वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2013 से 09/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2017 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**विकास खण्ड पुरोला, मोरी एवं नौगाव के अंतर्गत सिंचाई नहर निर्माण/रखरखाव एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं।

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (+) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	-	44.20	366.72	315.33	1288.19	1270.64	-17.55	-
2015-16	-	106.82	331.78	325.25	2466.61	2479.61	-	-13.00
2016-17	-	93.71	371.51	346.81	651.33	661.50	-	-10.17
2017-18	-	-	361.71	361.71	174.87	173.94	-0.93	-

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	आधिक्य `	बचत `
—— शून्य ——						

(iii)इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'ए'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

——प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
——मुख्य अभियन्ता,सिंचाई विभाग, देहरादून (स्तर–2),
—— अधीक्षण अभियन्ता , सिंचाई कार्य मण्डल, उत्तरकाशी,
—— अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पुरोला

(iv)**लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पुरोला** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पुरोला** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। नौगांव विकास खण्ड में यमुना नदी के किनारे गंगनानी में बाढ़ सुरक्षा योजना कार्य का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक ..... शून्य ..... का निरीक्षण किया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2018 तथा 09/2018 तक की गई।

4. फार्म–51: माह 06/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत् हैः–

भाग प्रथम ₹ 17225316.00

भाग द्वितीय ₹ 180135.00

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 09/2018 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ₹7941389.00

(ख) सामग्री क्रय ———

(ग) नगद परिशोधन ———

(घ) निक्षेप ₹6542383.00

(ङ) भण्डार ₹96835.00

भाग-2(ब)

प्रस्तर-1 :- जिला योजना के 295 कार्यों का पिछले तीन से छः वर्षों से लंबित रहना।

उत्तराखंड शासन द्वारा जिला योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 से 2015-16 मे नव नहर निर्माण, चालू पुनरोदयर एवं बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्य से संबन्धित 295 कार्य (सलग्नानुसार) की `2319.294 लाख की स्वीकृति प्रदान की थी माह 09/2018 तक कुल `822.640 लाख का शासन द्वारा आवंटन किया गया एवं खंड द्वारा `813.10लाख का व्यय किया गया। जिसमे से चालू नहरों के पुनरोदधार मे आवंटित धनराशि `187.270 लाख के सापेक्ष `300.95 लाख का व्यय किया गया। जिनमे से अधिकांश कार्य को पूर्ण नही किया जा सका। इसके अतिरिक्त उक्त जिला योजनाओं मे वर्ष 2013-14 से 2015-16 मे स्वीकृत 56 कार्यों के लिए शासन द्वारा कोई भी धनराशि आवंटित नही हुई हैं।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि स्वीकृत योजनाओं की लागत के सापेक्ष पूर्ण धनावटन प्राप्त न होने के कारण योजनाओं मे न्यूनतम आवश्यक कार्य कराया गया। धनावटन न होने के कारण जिला योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहरों के जीर्णोद्वार के कार्यों का भुगतान बाढ़ सुरक्षा योजना मे उपलब्ध धनराशि से किया गया। ऐसा किया जाना तात्कालिक रूप से आवश्यक था। भविष्य मे स्वीकृत योजनों के सापेक्ष धनावटन होने पर समायोजन कर लिया जाएगा। वर्ष 2013-14 से 2015-16 मे स्वीकृत 56 कार्यों को धनावटन न होने के संबंध मे कहा गया कि जिला योजना समिति के माध्यम से उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जा चुका हैं।

अत: जिला योजना के 295 कार्यों का पिछले तीन से छः वर्षों से लंबित रहने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर:- 2: गलत वेतन निर्धारण के कारण धनराशि ₹60724 के वेतन एवं भत्तो का अधिक भुगतान।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, पुरोला के अभिलेखो/सेवा पुस्तिकाओ की नमूना जांच (10/2018) में पाया गया कि इसी कार्यालय में कार्यरत श्री भीम सिंह/सहायक अभियंता एवं श्री मनमोहन रावत/मैंट को 7वे वेतनमान में गलत वेतन निर्धारण कर वेतन एवं भत्तो का भुगतान किया जा रहा है। इसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है-

श्री भीम सिंह/सहायक अभियंता: इनका दिनांक 31.12.15 को मूलवेतन + ग्रेड वेतन 16630+5400=21630 था तथा खंड द्वारा दिनांक **01.01.2016** को 7वे वेतनमान में इनका वेतन निर्धारण 16880+5400=22280 के मूलवेतन से किया गया। जो उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 के नियम 7(1)क(i) के अनुसार लेखापरीक्षा जांच में गलत पाया गया। खंड द्वारा दिनांक 01.01.16 को इनका मूलवेतन 59500 निर्धारित किया गया एवं वेतन और भत्तो का भुगतान 57800 के मूलवेतन के अनुसार किया गया जबकि लेखापरीक्षा द्वारा गणना करने पर इनका दिनांक 01.01.16 को निर्धारित किया जाने वाला मूलवेतन 57800 ही पाया गया।

*(**लेखापरीक्षा द्वारा की गयी गणना-** 31.12.2015 को मूलवेतन=16630, जीपी=5400, कुल योग=21630*2.57= 55589, next higher 56100 + 01.01.16 को एक Due वार्षिक वेतन वृद्धि के बाद 57800)*

उपरोक्त क्रम में खंड द्वारा आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01.01.2017 को इनका मूलवेतन 61300 एवं 01.01.18 को 63100 निर्धारित किया गया एवं इसी के अनुसार वेतन/भत्तो का भुगतान किया गया *(जनवरी 2017 से जुलाई 2017 तक पहले इन्हे 59500 के मूलवेतन के अनुसार वेतन/भत्तो का भुगतान किया गया परंतु इसके बाद इन्हे उक्त 7 (जनवरी से जुलाई 17 तक) माह के लिए एरिअर के रूप में धनराशि ₹12672 का भुगतान किया गया)* जबकि लेखापरीक्षा के अनुसार इनको 01.01.17 एवं 01.01.18 से क्रमश: 59500 एवं 61300 के मूलवेतन के पर वेतन/भत्तो का भुगतान किया जाना था।

इस प्रकार गलत वेतन निर्धारण एवं उसके अनुसार भुगतान के कारण इनको जनवरी 2017 से सितम्बर 2018 तक**धनराशि ₹35604 के वेतन एवं महंगाई भत्ते का अधिक भुगतान** किया जा चुका है।*(अधिक भुगतान की गयी राशि के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा की गयी calculation sheet संलग्न है)*

श्री मनमोहन रावत/मेंट:इनका दिनांक 31.12.15 को मूलवेतन + ग्रेड वेतन 7370+1900=9270 था तथा खंड द्वारा दिनांक **01.01.2016** को 7वे वेतनमान में इनका वेतन निर्धारण 7650+1900=9550 के

मूलवेतन से किया गया। जो उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 के नियम 7(1)क(i) के अनुसार लेखापरीक्षा जांच में गलत पाया गया। खंड द्वारा 01.01.16 को इनका मूलवेतन 25200 निर्धारित किया गया जबकि लेखापरीक्षा के द्वारा गणना करने पर 01.01.16 से इनको दिया जाने वाला मूलवेतन 24500 पाया गया।

(लेखापरीक्षा द्वारा की गयी गणना- *31.12.2015 को मूलवेतन=7370, जीपी=1900, कुल योग=9270*2.57= 23823, next higher 24500)*

उपरोक्त क्रम में खंड द्वारा इनका मूलवेतन आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथियो 01.07.16 को 26000, 01.07.17 को 26800 एवं 01.07.18 को 27600 निर्धारित किया गया और इसी के अनुसार वेतन-भत्तो का भुगतान किया गया जबकि लेखापरीक्षा के अनुसार 01.07.16 से 25200, 01.07.17 से 26000 एवं 01.07.18 से 26800 के मूलवेतन के अनुसार वेतन एवं भत्तो का भुगतान किया जाना था।

इस प्रकार गलत वेतन निर्धारण एवं उसके अनुसार भुगतान के कारण इनको जनवरी 2016 से सितम्बर 2018 तक**धनराशि ₹25120 के वेतन एवं महंगाई भत्ते का अधिक भुगतान** किया जा चुका है।*(अधिक भुगतान की गयी राशि के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा की गयी calculation sheet संलग्न है।)*

इस प्रकार उपरोक्त दोनों कार्मिको को कुल धनराशि **₹60724 (₹35604+₹25120)** के वेतन एवं भत्तो का अधिक भुगतान किया जा चुका है।

उपरोक्त के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड ने अपने उत्तर मे बताया कि वेतन का नियमानुसार पुन: निर्धारण कर कार्यवाही कर ली जाएगी। खंड का उत्तर से स्वम लेखापरीक्षा आपप्ति की पुष्टि होती है। **अत: गलत वेतन निर्धारण के कारण धनराशि ₹60724 के अधिक भुगतान किए गए वेतन एवं भत्तो का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।**

भाग-2(ब)

प्रस्तर:- 3 : चतुर्थ श्रेणी कार्मिक द्वारा वर्ष 2013-14 एवं 2016-17 में लिए गए जीपीएफ़ अग्रिम की धनराशि क्रमश: ₹100000.00 (स्थायी) एवं ₹40000.00 (अस्थायी) को जीपीएफ़ खाते मे अंतिम अवशेष से नहीं घटाए जाने एवं अधिक ब्याज दिये जाने के परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 में उसके जीपीएफ़ खाते में उपलब्ध कुल धनराशि (100%) से भी धनराशि ₹35887.00 का अधिक भुगतान।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, पुरोला में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के अभिलेखो/जीपीएफ़ खातो की नमूना जांच (10/2018) में पाया गया कि कार्यालय में कार्यरत **श्री शिव प्रसाद/रनर** ने वर्ष 2013-14 में ₹100000.00 (एक लाख) का स्थायी अग्रिम लिया था जिसको वर्ष के अंत में ब्याज की गणना करते समय क्लोसिंग बैलेन्स में से नहीं घटाया गया। इस पर विगत नमूना लेखापरीक्षा (माह-10/2018) में भी लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लगाई थी परंतु खंड द्वारा इसे नहीं सुधारा गया और अग्रिम वर्षो में उसी क्लोसिंग बैलेन्स पर ब्याज और अग्रिम दिया गया। आगे यह भी पाया गया कि इन्होने वर्ष 2016-17 में दो बार, ₹40000.00 का अस्थायी (04/2016 में) एवं ₹150000.00 का स्थायी (03/2017 में) अग्रिम लिया था। इस वर्ष के अंत में भी ब्याज की गणना के बाद क्लोसिंग करते समय ₹150000.00 को तो अंतिम अवशेष से घटाया गया परंतु ₹40,000.00 (चालीस हजार) को अंतिम अवशेष में से नहीं घटाया गया। जिसकी वजय से आगामी वर्षो 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में खंड द्वारा लगाए गए ब्याज एवं अंतिम अवशेष का लेखापरीक्षा द्वारा गणना करने पर पाये गए ब्याज एवं अंतिम अवशेष से जो अंतर पाया गया वह इस प्रकार है-

	खंड द्वारा		लेखापरीक्षा द्वारा	
वर्ष	ब्याज	अं॰ अवशेष	ब्याज	अं॰ अवशेष
2013-14	8046	185660	7954	85568
2014-15	17650	204961	7998	95172
2015-16	18673	250838	9214	131590
2016-17	25230	266368	10488	42378
2017-18	24447	388757	10745	201065

उपरोक्त क्रम में वर्ष 2018-19 में खंड द्वारा इन्हे सितम्बर 2018 में ₹3,20,000.00 (तीन लाख बीस हजार) का स्थायी अग्रिम (वाउचर नं॰ B27000001 दिनांक:06.09.18 एवं कार्यालय आदेश संख्या 939/सि॰ख॰पु॰/जी3/जीपीएफ़ दिनांक:05.09.18 के द्वारा) पुन: दिया गया जबकि लेखापरीक्षा द्वारा जांच में पाया गया कि इस बार अग्रिम दिये जाने की तिथि (05.09.18) को इनके खाते में उपलब्ध कुल धनराशि 284113.00 थीऔर इन्हे खाते में उपलब्ध कुल धनराशि (100%) से भी धनराशि ₹35887.00 का अधिक भुगतान किया गया।

उपरोक्त के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड ने अपने उत्तर मे बताया कि नियमानुसार कार्यवाही कर अधिक अग्रिम/ब्याज का समायोजन कर लिया जाएगा। खंड का उत्तर से स्वम लेखापरीक्षा आपप्ति की पुष्टि होती है।

अत: चतुर्थ श्रेणी कार्मिक द्वारा वर्ष 2013-14 एवं 2016-17 में लिए गए जीपीएफ़ अग्रिम की धनराशि क्रमश: ₹100000.00 (स्थायी) एवं ₹40000.00 (अस्थायी) को जीपीएफ़ खाते मे अंतिम अवशेष से नहीं घटाए जाने एवं अधिक ब्याज दिये जाने के परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 में उसके जीपीएफ़ खाते में उपलब्ध कुल धनराशि (100%) से भी धनराशि ₹35887.00 के अधिक भुगतानका प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर –4 प्रस्तावित सींच के सापेक्ष कम सींच प्राप्त किया जाना जिससे किसानों का पूर्ण सींच लाभ से वंचित रहना।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पुरोलो के अभिलेखों की नमूना जॉच (10/2018) में पाया गया कि खण्ड के सींच रजिस्टर में नहरों की कुल संख्या 200 के सापेक्ष कुल सी0सी0ए0 (CCA) 4502 है0 था तथा जिसके सापेक्ष कुल प्रस्तावित सींच 3644 है0 (खरीफ 2652 है0 + रबी 992 है0 = 3644 है0) थी। नहरों की कुल प्रस्तावित सींच 3644 है0 के सापेक्ष वर्ष 2017–18 (फसली 1425) में मात्र 1013.905 है0 (28 प्रतिशत) ही सिंचाई की जा सकी। इस प्रकार प्रस्तावित सींच के सापेक्ष अत्यन्त कम सींच प्राप्त किया जा रहा था। जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क्रम सं0	नाम (उपखण्ड/खण्ड)	नहरों की संख्या	सी0सी0ए0 (है0)	प्रस्तावित सींच (है0)			नहरो द्वारा वास्तविक सींच(है0) वर्ष 2017–18(फसली 1425)		
				खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
1.	प्रथम उपखण्ड डामटा	48	856	502	223	725	150.601	15.976	166.577
2.	द्वितीय उपखण्ड पुरोला	47	1089	632	226	858	418.306	7.883	426.189
3.	तृतीय उपखण्ड मोरी	49	1530	950	331	1281	306.105	11.757	317.862
4.	चतुर्थ उपखण्ड बड़कोट	56	1027	568	212	780	101.231	2.046	103.277
	योग (सिंचाई खण्ड, पुरोला)	200	4502	2652	992	3644	976.243	37.662	1013.905

उक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया गया कि वर्ष 2013 की दैवीय आपदा से नहरों के क्षतिग्रस्त होने के कारण नहरों की पूर्ण क्षमता का उपयोग नही हो पा रहा है जिस कारण प्रस्तावित सींच प्राप्त नही हो पा रही है। खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि प्रस्तावित सींच को नही प्राप्त किया जा रहा था, दैवीय आपदा के 5 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी खण्ड द्वारा सींच

को बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई ठोस प्रयास नही किये गये थे जिससे क्षेत्रीय किसानों को उसका पूर्ण लाभ नही प्राप्त हो रहा था।

इस प्रकार खण्ड द्वारा प्रस्तावित सींच के सापेक्ष कम सींच प्राप्त किये जाने जिससे किसानों का पूर्ण सींच लाभ से वंचित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:- ए0आई0बी0पी0 के अंतर्गत `66.97 लाख की देनदारियां सृजित करना।

उत्तराखंड शासन द्वारा केंद्र पोषित योजना ए0आई0वी0पी0 के अंतर्गत जिला उत्तरकाशी के मोरी एवं नौगांवविकास खंड मे दो नये कार्यों के निर्माण हेतु कुल `210.69 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी।जिसके अंतर्गत 90:10 के अनुपात मे क्रमश: केंद्र एवं राज्य द्वारा वहन किया जाना था। खंड की मासिक प्रगति रिपोर्ट (MPR) की जांच मे पाया गया हैं कि माह 07/2017 के पश्चात ए0आई0वी0पी0 योजना के कार्यों को मासिक प्रगति रिपोर्ट मे नही सम्मिलित किया गया हैं। मासिक प्रगति रिपोर्ट 07/2017 के अनुसार उक्त कार्यों की निम्न स्थिति थी।

क्रम सं	**योजना का नाम**	**मूल योजना का प्रविधान**		**माह 07/2017 के एम0पी0आर0 के अनुसार किया गया व्यय**
		कुल स्वीकृति	**भौतिक**	**धनराशि**
01	मोरी वि0स0 के अंतर्गत 12.60 Km नहरों का निर्माण	126.44	12.30	92.64
02	नौगाँव विकास खंड मे 7.50 km नई नहरों के निर्माण की योजना	84.25	7.50	53.43
	योग	**210.69**	**19.80**	**146.07**

आगे अभिलेखों मे देखा गया हैं कि कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून (तत्कालीन) के पत्रांक- 6002/सि0का0म0दे0/ए-6 (ए0आई0बी0पी0) दिनांक-21 अक्तूबर 2015 के अनुसार, बार बार ए0आई0बी0पी0 से संबन्धित सूचना की जानकारी मांगने के बावजूद सूचना उपलब्ध नही कराई गई। इसके अलावा कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, देहरादून के पत्रांक-2113/प्र0अ0/बजट/बी0-1 दिनांक-15 जून 2018 द्वारा सृजित देनदारियों के संबंध मे मांगी गयी सूचना का प्रतिउत्तर भी अभिलेखों मे नही पाया गया।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि योजना को पूर्ण करने के लिए ए0आई0बी0पी0 के अंतर्गत `66,96,746.00 (छियासठ लाख छियान्नवे हजार सात सौ छियालीस) की देनदारीयां सृजित हैं परंतु खंड द्वारा प्रमुख अभियंता के पत्र दिनांक-15 जून 2018 के द्वारा मांगी गयी सूचना का प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही किया गया।

अत: ए0आई0बी0पी0 के अंतर्गत `66,96,746.00 (छियासठ लाख छियान्नवे हजार सात सौ छियालीस) की देनदारियां सृजित करने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर –2 नहर/लघुडाल नहर सिंचाई योजनाओं को विगत 25 वर्षो से परित्याग योग्य घोषित होने के उपरान्त भी आतिथि तक योजनाओं का परित्याग नही किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पुरोला के अभिलेखो की नमूना जॉच (माह 10/2018) में पाया गया कि सिंचाई खण्ड, पुरोला के तहत 08 नहर/लघुडाल नहर सिंचाई योजना वर्ष 1987–88 से 2001–02 के मध्य विभिन्न कारण से परित्याग योग्य घोषित किया गया परन्तु अभी तक (09/2018 तक) योजनाओं का परित्याग नही किया गया था, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रम सं0	विकासखण्ड का नाम	खण्ड का नाम	नहर/लघुडाल नहर/नलकूप का नाम	निर्माण वर्ष	परित्याग योग्य होने का वर्ष	सी0सी0ए0 (है0)	नहर की लम्बाई (किमी0)
1.	मोरी	सिंचाई खण्ड पुरोला	चिंवा	1982–83	2001–02	8.00	0.780
2.	मोरी	सिंचाई खण्ड पुरोला	बलावट	1988–89	1989	23.00	1.600
3.	मोरी	सिंचाई खण्ड पुरोला	गोकूल	1982–83	1992	48.00	2.490
4.	मोरी	सिंचाई खण्ड पुरोला	माकुडी डगोली	1987–88	1992	23.00	2.600
5.	नौगांव	सिंचाई खण्ड पुरोला	चिलाड़ खेत	1994–95	1999	4.00	1.000
6.	नौगांव	सिंचाई खण्ड पुरोला	ओडगांव	1984–85	1991	14.00	1.050
7.	नौगांव	सिंचाई खण्ड पुरोला	खनाटी	1987–88	1991	41.00	4.300
8.	नौगांव	सिंचाई खण्ड पुरोला	गंगटाडी	1981–82	1987–88	42.00	4.200
		योग				**203.00**	**18.02**

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा तथ्यों की पुष्टि करतें हुये अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में शासन से पत्राचार किया गया था एवं पुनः पत्राचार किया जायेगा एवं शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी। खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि सिंचाई योजनाओं को परित्याग योग्य घोषित होने के 25 वर्षो उपरान्त भी लेखापरीक्षा तिथि (माह 10/2018) तक योजनाओं का परित्याग नही किया जा सका था और इस सन्दर्भ में इकाई द्वारा कोई ठोस प्रयास भी नही किये गये थे।

अतः नहर/लघुडाल नहर सिंचाई योजनाओं को विगत 25 वर्षो से परित्याग योग्य घोषित होने के उपरान्त भी आतिथि तक (माह 10/2018) योजनाओं का परित्याग नही किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग– III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम सं0	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग– II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग– II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
1.	23/2001-02	----	1, 2	
2.	104/2004-05	--	2	
3.	10/2006-07	--	1	
4.	29/2009-10	--	1, 2	
5.	99/2010-11	1	1	
6.	16/2013-14	--	1	
7.	50/2017-18	--	1, 2	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या इकाई द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी।

भाग– IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

––– शून्य –––

भाग–V

आभार

1. कार्यालय **प्रधान** महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पुरोलातथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये :

(i)विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या

2. सतत् अनियमितताएं :

(i)शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
(1)	श्री विकास श्रीवास्तव	अधिशासी अभियन्ता	(विगत लेखापरीक्षा से अब तक)

4. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. श्री धीरेन्द्र कुमार (विगत लेखापरीक्षा से अब तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पुरोला को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ आर्थिक क्षेत्र–।।, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)–उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र –।।